अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशोधन) / ——— / 19 दिनांक : 19 :सितम्बर –2019

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक–1629 / 19 दिनांक 16.09.19 द्वारा दिनांक 14.10.19 से 19.10.19 के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम, वाराणसी व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–तृतीय,लखनऊ को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–3, लखनऊ द्वारा पत्रांक–428 / 19 दिनांक 18.09.19 इस आशय का प्रेषित किया गया है कि दिनांक 14.10.19 को उनके भाँजे का विवाह होना निश्चित हुआ है जिसमें उनका सम्मिलित होना आवश्यक है। इस कारण दिनांक 14.10.19 को वाराणसी कार्यालय में उपस्थित हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त आधार पर दिनांक 14.10.19(एक दिवस) का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–3, लखनऊ द्वारा किये गये निवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए " **सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–3, लखनऊ** " के स्थान पर " **सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2, लखनऊ** को वाराणसी में उक्त अवधि की गठित खंडपीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0--19.09.19
(प्रेम कला सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशो0 / 1641 / 2019, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, लखनऊ।
2–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–3, लखनऊ।
3–सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी।
4–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5–मुन्सरिम / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता / विवरण / कम्प्यूटर) मुख्यालय।
6–सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।